328

Shri Dharmendra

DDWS' Letter dated 23.01.2025 for requesting to circulate DDWS's Vacancy Circular for 03 PHE post - reg.

From: HannyGupta < hanny.gupta@gov.in>

**Subject :** DDWS' Letter dated 23.01.2025 for requesting to circulate DDWS's Vacancy Circular for 03 PHE post - reg.

To: K. Vijayanand, IAS <cs@ap.gov.in>, Manish Kumar Gupta <cs-arunachal@nic.in>, Dr. Ravi Kota <csassam@nic.in>, Chief Secretary, Bihar <cs-bihar@nic.in>, Chief Secretary Office Chhattisgarh <csoffice.cg@gov.in>, Dr. V Candavelou IAS <cs-goa@nic.in>, csquj@gujarat.gov.in, cs-haryana@nic.in, Prabodh Saxena <cs-hp@nic.in>, Alka Tiwari <cs-jharkhand@nic.in>, cs@karnataka.gov.in, Smt. SARADA MURALEEDHARAN IAS <chiefsecy@kerala.gov.in>, Anurag jain <cs@mp.nic.in>, cs@maharashtra.gov.in, cs-manipur <cs-manipur@nic.in>, cso-meg <Cso-meg@nic.in>, csmizoram <Cs-mizoram@nic.in>, Jan e Alam, Chief Secretary Nagaland <csngl@nic.in>, Shri Manoj Ahuja <csori@nic.in>, Chief Secretary Punjab <cs@punjab.gov.in>, csraj@rajasthan.gov.in, Vijay Bhushan Pathak <Cs-skm@hub.nic.in>, cs@tn.gov.in, CS Telangana <Cs@telangana.gov.in>, cs-tripura <Cstripura@nic.in>, CHIEF SECRETARY OFFCE GOVT OF UP <csup@nic.in>, chief secretary <Cs-uttaranchal@nic.in>, Chiefsecy@gmail.com, Westbengal@nic.in, Dr. Chandra Bhushan Kumar IAS <cs-andaman@nic.in>, admnchandigarh@nic.in, devcom-d@nic.in, Shri Amit Singla <advisor-dnh-dd@daman.nic.in>, Shri Dharmendra <csdelhi@nic.in>, Advisor to the Administrator UTL <lkadvisor@gov.in>, cs-pondicherry@nic.in, cs-jandk <Csjandk@nic.in>, Advisor to LG <Advisor-Igladakh@gov.in>

**Cc:** Surojit Ghosh Under Secretary <s.ghosh@nic.in>, Dharmendar Rai <dharmendar.rai74@nic.in>

Respected Sir/Madam,

Please find the attached DDWS' letter dated 23.01.2025 and Vacancy Circular dated 07.01.2025 on the captioned subject.

With regards

Hanny Gupta Assistant Section Officer (Estt.) Department of Drinking Water and Sanitation Ministry of Jal Shakti Thu, Jan 23, 2025 04:53 PM

@2 attachments

23.1.25 P.Sey. (Sed.)

SS(Serv) F M DS-II(S)

8n yogen

32X

# A-12018/2/2018-Admin Government of India Ministry of Jal Shakti Department of Drinking Water & Sanitation \*\*\*\*\*\*

8th floor, Pt. Deendayal 'Antyodaya Bhawan' CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110 003. Dated: 23.01.2025.

To

The Chief Secretary, All State Govts. /UTs.

Subject: Request to circulate DDWS' Vacancy Circular for 03 PHE posts – reg.

Dear Sir,

I am directed to forward this Department's Vacancy Circular No. A-12018/2/2018-Admin dated 07.01.2025 (Copy attached), vide which 03 posts of Public Health Engineering (01 post of Additional Adviser, 01 post of Deputy Adviser and 01 post of Assistant Adviser) filled on Deputation including Short-Term are required to be up Contract/Absorption/Promotion basis from amongst Officers of the Central or State Government or Union Territories or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Statutory Organizations or Universities or Recognized Research Institutions.

- 2. It is to inform that the above-mentioned Vacancy Circular has been published in Weekly Edition of Employment News and 03 Dailies/Newspapers (The Times of India, Deccan Chronicle & Dainik Jagran) dated 18.01.2025.
- 3. The last date to submit application is 03<sup>rd</sup> March, 2025, 5:30 PM.
- 4. It is requested to circulate the Vacancy circular.

Encl.: As above

Juni 10 Mars

(Surojit Ghosh) Deputy Secretary to the Government of India Tel: 011-24368774

· E-mail Id: ddws\_usadm@nic.in

Copy forwarded for information and similar necessary action to:

1. All Ministries/Departments of the Government of India/Universities/Recognized Research Institutions. It is requested that the post may please be circulated to their Attached/Subordinate Offices/Public Sector Undertakings/Autonomous Statutory Bodies/Statutory Organizations and Semi-Government Organizations under their control.

SALV

- 2. Chief Engineers/Engineer Chiefs of all States, PHE Deptt.
- 3. Editor (Advtg.), Employment News (Publications Division), Ministry of I&B, (through DAVP)
- 4. Director General, CPWD, Nirman Bhavan, New Delhi- 4
- 5. Chairman, Central Ground Water Board, Jal Bhawan, NH-IV, Faridabad.
- 6. Chairman Central Water Commission, West Block, 1, Sewa Bhavan, R.K. Puram, New Delhi.
- 7. Chairman, Central Electricity Authority, West Block, Sector-1, Sewa Bhavan, R.K. Puram, New Delhi- 66.
- 8. Secretary, ICAR, Krishi Bhavan, New Delhi/IARI, Pusha Road, New Delhi-01.
- 9. Secretary, University Grant commission (UGC), Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002.
- 10. WAPCOS, Kailash, 5th Floor, 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001.
- 11. Technical Director (NIC) with a request to upload on the Ministry's website

## A-12018/2/2018-Admin Government of India Ministry of Jal Shakti Department of Drinking Water & Sanitation

8th floor, Pt. Deendayal 'Antyodaya Bhawan', CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110 003.

Dated: 07.01.2025

#### VACANCY CIRCULAR

Following posts are required to be filled up on Deputation including Short-Term Contract/Absorption/Promotion basis from amongst Officers of the Central or State Government or Union Territories or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Statutory Organizations or Universities or Recognized Research Institutions:

Name of Post	Pay	No. of post	Classification	Method of Recruitment		
Additional Adviser(PHE)	Level- 13A in the Pay Matrix (Rs. 131100- 216600)	01	General Central Service Non— Ministerial Gazetted Group A	Composite Method (Deputation including Short- Term Contract/Promotion)		
Deputy Adviser (PHE)	Level-12 of Pay Matrix (Rs. 78800 – 209200)	01	General Central Service Non— Ministerial Gazetted Group A	Deputation (including short- term contract)/Absorption		
Assistant Level-11 of O1 Adviser Pay Matrix (Rs. 67700 – 208700)		General Central Service Non— Ministerial Gazetted Group A	Deputation (including short- term contract)/Absorption			

## 2. (i) Service, Educational Qualification and Experience required for the post of Additional Adviser (PHE):

In terms of the notified Recruitment Rules for the post of Additional Adviser (PHE), i.e., the Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation, Additional Adviser (Public Health Engineering), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2019 (as amended from time to time), the qualifications, experience and age limit etc. required for Additional Adviser shall be as under:

Officers of the Central or State Governments or Union Territories or Autonomous Bodies or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions:-

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-13 of pay matrix (Rs. 123100 215900) or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level -12 of pay matrix (Rs. 78800 209200) or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience:Essential:-
- (i) Bachelor Degree in Civil Engineering or Environmental Engineering or Public Health Engineering from a recognized University or Institute.
- (ii) Fifteen years experience in responsible capacity in investigation, design construction and operation of water supply and sewerage installation including five years in rural or urban sector with experience in desalination, defluoridation, iron removal, and water harvesting structure.

#### Desirable:

Master Degree in Civil Engineering or Environmental Engineering or Public Health Engineering from a recognized University or Institute or equivalent.

- Note 1: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
- Note 2: The departmental Deputy Adviser (Public Health Engineering) in level 12 in the pay matrix (78800-209200) with six Years of regular service in the grade and having the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.
- (ii) Service, Educational Qualification and Experience required for the post of Deputy Adviser (PHE):

In terms of the notified Recruitment Rules for the post of Deputy Adviser (PHE), i.e., the Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation, Deputy Adviser (Public Health Engineering), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2015 (as amended from time to time), the educational qualifications, experience and age limit etc. required for Deputy Adviser shall be as under:

Officers under the Central Government/State Governments/UT Administration/ Public Sector Undertakings/ Universities/ Recognized Research Institutions/Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organizations:

- (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the Parent cadre/Department; or
- (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in "Level-11 in the "PAY MATRIX" or equivalent in the Parent Cadre/ Department; and
- (b) Possessing the Educational Qualification and Experience as prescribed for Direct Recruits as under:

Essential:

- (i) Bachelor's Degree in Civil Engineering/Environmental Engineering/Public Health Engineering from a recognized University/ Institute.
- (ii) 9 Years' experience in Investigation, Design Construction and Operation of Water Supply and Sewerage Installation Including at least three years in Rural Or Urban Sector with experience in Desalination, Defluoridation, Iron Removal, Water Harvesting Structure.

Desirable:

Master's Degree in Civil Engineering/ Environmental Engineering/Public Health Engineering from a recognized University/ Institute.

- Note 1: Only Officers of Central/State Government shall be eligible for consideration for absorption.
- Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

321

Note 3: For the purpose of appointment on Deputation/Absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006/ the date from which the Revised Pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one Pre-revised Scale of Pay into one Grade with a common Grade Pay/Pay Scale, and where this benefit will extend only for the Post(s) for which that Grade Pay/Pay Scale is the normal Replacement Grade without any Up gradation

### (iii) Service, Educational Qualification and Experience required for the post of Assistant Adviser (PHE):

In terms of the notified Recruitment Rules for the post of Assistant Adviser (PHE), the Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation, Assistant Adviser (Public Health Engineering), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2013 (as amended from time to time), the educational qualifications, experiences and age limits etc. required for the post on deputation (including short-term contract)/ absorption) basis shall be as under:

Officers under Central Government/State Governments/Union territories/ Universities/ Recognized Research Institutions/ Public Sector Undertakings/Semi-Government/ autonomous bodies or statutory organizations:

- (a). (i) holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level -10 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /Department; or
- (iii) with six years' service in the grade/Level rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-8 in the PAY MATRIX or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b). Possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits as under:
- (i) Bachelor's Degree in Engineering/Technology in Civil Engineering/Environmental Engineering/Public Health Engineering from a recognized University; and
- (ii) Five years experience in isolation or collectively in investigation or design construction or operation of water supply and sewerage installations including one year experience in urban sector or rural sector with experience in desalination/ de-fluoridation/ iron removal/ water harvesting structures in Government or autonomous or semi-Government organization or private organization.

(Period of deputation (including short-term contract)/absorption including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

Note: For the purpose of appointment on deputation/Absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

### 3. <u>Duties & responsibilities attached to the posts of Additional Adviser (PHE)</u>, <u>Deputy Adviser (PHE)</u> and <u>Assistant Adviser (PHE)</u>:

Scrutiny of Rural Drinking Water and Sanitation Projects, Solid Waste Management Schemes; assistance in implementation of Centrally Sponsored Programmes (e.g. NRDWP/JJM & SBM); appraisal of DPRs; convening meetings/workshops; preparation of technical guidelines etc.; assistance in preparing Manuals, technical reports and code of practices in Rural Drinking Water and Sanitations sectors; representing the Department in different inter-ministerial meeting, teams etc.

- 4. Period and other terms and Condition of Deputation: The terms and conditions of deputation will be governed by the Department of Personnel & Training's O.M. No.6/8/2009 Estt. (Pay. II), dated 17.06.2010 and by the subsequent instructions in this regard.
- 5. It is, therefore, requested that service particulars and bio-data of the eligible officers who are willing to be considered, may please be sent to this Department in the prescribed Proforma (Annexure-I) in triplicate along with their complete and up-to-date CR Dossiers and Vigilance Clearance, Integrity Certificate and No penalty certificate (Annexure-II) and in case any major/minor penalty has been imposed during the last 10 years indicate the same in the prescribed format (Annexure II).
- 6. The vacancy circular and Annexures are also available on the Department's website https://jalshakti-ddws.gov.in. The applicants may send an Advance Copy of the application through email to ddws\_usadm@nic.in. For any query the applicants may contact through mail <a href="ddws\_usadm@nic.in">ddws\_usadm@nic.in</a>. Applications should be sent only by Speed Post or by Registered Post mentioning clearly the name of the post applied for on the envelope and be

BAN

addressed to 'The Under Secretary (Admn.), Department of Drinking Water and Sanitation, 8th floor, Pt. Deendayal 'Antyodaya Bhawan', CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110 003 within 45 days of the publication of this circular in the Employment News/Rojgar Samachar.

#### 7. List of enclosures to be accompanied with the application:

- i) Application in the prescribed format- Annexure-I & II duly completed, signed by the candidate and countersigned by the Head of the office on each side of pages. ii) Attested copies of ACR/ APARs for the last 5 (five) years duly attested and sealed on each side of pages by an officer not less than the rank of Under Secretary or equivalent. While forwarding the applications of the officers, it may also be certified that the service particulars of the officers have been verified as per records available with them.
- 8. Application not forwarded through proper channel or signed properly or those received without complete and up-to-date CR Dossiers, vigilance and integrity certificate and a list of major/minor penalties of the officers or received after the date prescribed will not be considered. Once the nominations of the officers are received, the officers or forwarding organizations shall not be allowed to withdraw their nomination later.

(Dharmendar Rai) Under Secretary to the Govt. of India Tel: 011-24368711 E-mail: ddws\_usadm@nic.in

3/9/0 ANNEXURE-I

#### BIO-DATA/ CURRICULAM VITAE PROFORMA

Name of the Post Applied for		
1.Name and address (In Block Letters)		
2.Date of Birth (In Christian era)	er val	
3.i) Date of entry into service		3 9 10
ii) Date of retirement under . Central/ State Government Rules.		
4. Educational Qualifications		
5. Whether Educational and other qualification has been treated as equivone prescribed in the Rules, state the at the same)	ed. (If any valent to the	
Qualifications/ Experience required as mentioned the advertisement/ vacancy circular.		ence possessed by the
Essential	Esse	ntial
A) Qualification	A). Qualification	
B) Experience	B). Experience	
Desirable	Desi	rable
,A) Qualification	A). Qualification	
B) Experience	B). Experience	ander versteret skar er til er. Eksplomerpillar i der er in
5.1 Note: This column needs to be a Qualification as mentioned in the RRs Office at the time of issue of Circular a News. 5.2 In the case of Degree and Post Grand subsidiary subjects may be indicated	by the Administrative Mand issue of Advertisemental by the Qualifications E	Ministry/ Department/ ent in the Employment
6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post.	e de l'adente de la Carlo de Carlo. Tro de l'arche de l'Arche de la Parte.	
6.1 Note: Borrowing Department are confirming the relevant Essential Qua Candidate (as indicated in the Bio-data	alification/ Work experie	ence possessed by the



7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/Institution	Post held on regular basis	From	То	*Pay Band and Grade Pay/Pay scale of the post held on regular basis/ Level in pay matrix	Nature of Duties (In detail) highlighting experience required for the post applied for
*	-				P. S. Modelling Co.
		18		in a star to a transfi defense as to a	The second second
			a rigida. A agairea		regal collections
	1 - 1				
		~			red cassigned of

\*Important: Pay band and Grade Pay/ Level in pay Matrix granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay band and Grade Pay/ Level in pay Matrix of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay/ Level in pay Matrix where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below;

Office/ Institution	Pay, Pay band and Grade Pay/ Level in pay Matrix drawn under ACP/MACP scheme	То
e proposition of the contract		

	resent employm Quasi-Permane			1 - 3	TO THE PRODUCT SERVICE OF THE SERVIC
	present employ ontract basis pl				
a). The date of initial appointment	appointment	of on	The second secon	office/ to	substantive capacity in the
9					ļ.

BALL

10. If any post held on Deputation in the past by the applicant, date of return form the last deputation and other details  11. Additional details about present employment: Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column)  a) Central Government b) State Government c) Autonomous Organization d) Government Undertaking e) Universities f) Others  12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.  13. Are you in Revised Scale of Pay? If Yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.  14. Total emoluments per month now drawn  Basic Pay in the PB/ Pay  Grade Pay/ Level  Total En	
Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column)  a) Central Government b) State Government c) Autonomous Organization d) Government Undertaking e) Universities f) Others  12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.  13. Are you in Revised Scale of Pay? If Yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.  14. Total emoluments per month now drawn Basic Pay in the PB/ Pay Grade Pay/ Level Total En	
Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column)  a) Central Government b) State Government c) Autonomous Organization d) Government Undertaking e) Universities f) Others  12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.  13. Are you in Revised Scale of Pay? If Yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.  14. Total emoluments per month now drawn Basic Pay in the PB/ Pay Grade Pay/ Level Total En	
Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.  13. Are you in Revised Scale of Pay? If Yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.  14. Total emoluments per month now drawn  Basic Pay in the PB/ Pay Grade Pay/ Level Total En	
from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.  14. Total emoluments per month now drawn  Basic Pay in the PB/ Pay   Grade Pay/ Level   Total En	ASSESSMENT OF THE STATE OF THE
Basic Pay in the PB/ Pay Grade Pay/ Level Total En	
Basic Pay in the PB/ Pay Grade Pay/ Level Total En	
Width	noluments
15. In case the applicant belongs to an Organization which is not fi Government Pay-Scales, the latest salary slip issued by the Organ following details may be enclosed	ollowing the Central ization showing the
Basic Pay with Scale of Pay and rate of increment Dearness Pay/Interim relief/ other Allowances etc., (with break-up details)	noluments



10. 10. 10.	
16. A) Additional information, if any, relevant to the	July and the state of the state
post you applied for in support of your suitability for the	Factor Committee
post.	years paying the first
(This among other things may provide information with	
regard to (i) additional academic qualifications (ii)	
Professional training (iii) work experience over and	
above prescribed in the Vacancy Circular/	
Advertisement)	
(Note: Enclose a separate sheet, if the space is	the state of the state of
insufficient)	
16. B) Achievements:	
The Candidates are requested to indicate	
information with regard to;	3
(i) Research publications and reports and special	local etains de Samuello de la co
projects	
(ii) Awards/Scholarships/ Official Appreciation	
(iii) Affiliation with the professional bodies/	
Institutions/ societies and;	
(iv) Patents registered in own name or achieved for the	
organization.	
(v) Any research/ innovative measure involving official	
recognition vi) any other information	
(Note: Enclose a separate sheet if the space is	
insufficient)	
17. Please state whether you are applying for deputation	
(ISTC)/Absorption/Re-employment Basis. # (Officers	
under central/ State Governments are only eligible for	
"Absorption". Candidates of Non-Government	
Organizations are eligible only for Short Term Contract)	
# (The option of 'STC' / 'Absorption'/ 'Re-employment'	nii e ee ee ee ee ee ee
are available only if the vacancy circular specially	
mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-	
employment".)	p.
18. whether belongs to SC/ST.	

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details proved by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

		(Signature of the candidate)
		Address:
Date		

ANNEXURE-II

#### Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

- 2. Also certified that;
- i) There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated againstSh. / Smt.\_\_\_\_
- ii) His/ Her integrity is certified
- iii) His/ Her CR Dossier in original is enclosed/ Photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed.
- iv) No major/minor penalty has been imposed on him/her during the last 10 years. Or a list of major/minor penalties imposed on him/her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Date:-					Counte	ersigned
						of File
	(Employer	/ Cadre	Controlli	ing Autl	nority w	ith seal)

BAIL

#### ए-12018/2/2018-प्रशासन भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

8वीं मंजिल, पं. दीनदयाल 'अंत्योदय' भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003.

दिनांक: 07.01.2025

#### रिक्ति परिपत्र

केंद्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सांविधिक संगठनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों से अल्पकालिक अनुबंध/आमेलन/पदोन्नित आधार सहित प्रतिनियुक्ति पर निम्निलिखित पदों को भरा जाना अपेक्षित है:

पद का नाम	वेतन	पदों की संख्या	वर्गीकरण	भर्ती की विधि
अपर सलाहकार (पीएचई)	पे मैट्रिक्स में लेवल- 13क (रु. 131100-216600)	01	सामान्य केंद्रीय सेवा अनन्सचिवीय	सम्मिश्रित विधि (अल्पकालिक अनुबंध/पदोन्नति सहित
	131100-210000)		राजपत्रित समूह 'क'	प्रतिनियुक्ति)
उप सलाहकार (पीएचई)	पे मैट्रिक्स में लेवल - 12 (रु. 78800- 209200)	01	सामान्य केंद्रीय सेवा अननुसचिवीय राजपत्रित समूह 'क'	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन
सहायक सलाहकार (पीएचई)	पे मैट्रिक्स में लेवल - 11 (रु. 67700- 208700)	01	सामान्य केंद्रीय सेवा अननुसचिवीय राजपत्रित समूह 'क'	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन

2. (i) अपर सलाहकार (पीएचई) के पद के लिए सेवा, शैक्षणिक अर्हता और अपेक्षित अनुभवः

3/3/

अपर सलाहकार (पीएचई) के पद हेतु अधिस्चित भर्ती नियमों, अर्थात, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के अपर सलाहकार (लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2019 (समय-2 पर यथा संशोधित) के अनुसार, इस पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं, अनुभव और आयु सीमा आदि निम्नानुसार होंगी:

केंद्र या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत निकायों या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी:-

- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या
- (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल-13 (रु. 123100 215900) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की हो; या
- (iii) मूल संवर्ग या विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल-12 (रु. 78800 209200) या समकक्षा में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में छह वर्ष की सेवा की हो;

और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: -अनिवार्य:-

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी या पर्यावरण अभियांत्रिकी या लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री।
- (ii) जल आपूर्ति और सीवरेज संस्थापना की जांच, डिजाइन, निर्माण तथा संचालन में उत्तरदायी क्षमता में पंद्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें विलवणीकरण, डीफ्लोराइडेशन, लौह विमुक्तिकरण और जल संचयन संरचना में ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव शामिल है।

वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समकक्ष से सिविल अभियांत्रिकी या पर्यावरण अभियांत्रिकी या लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर डिग्री।

टिप्पणी 1: केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध (अल्पकालिक अनुबंध सिहत) सिहत प्रतिनियुक्ति की अविध (अल्पकालिक अनुबंध सिहत) सामान्यत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सिहत) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक न हो।

32V

टिप्पणी 2: पे मैट्रिक्स लेवल-12 (रु. 78800-209200) में ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा वाले और प्रितिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखने वाले विभागीय उप सलाहकार (लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) पर बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाता है। यदि विभागीय उम्मीदवार को पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तो इसे पदोन्नित द्वारा भरा गया माना जाएगा।

(ii) उप सलाहकार (पीएचई) के पद के लिए आवश्यक सेवा, शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव:

उप सलाहकार (पीएचई) के पद हेतु अधिसूचित भर्ती नियमों, अर्थात, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के उप सलाहकार (लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 (समय-2 पर यथा संशोधित) के अनुसार, इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव और आयु सीमा आदि निम्नानुसार होंगी:

केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / विश्वविद्यालयों/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/ अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के तहत अधिकारी:

- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हों; या
- (ii) मूल संवर्ग या विभाग में "पे मैट्रिक्स" में लेवल-11 के पदों में या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो;

और

- (ख) निम्नानुसार सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: -अनिवार्य:-
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी या पर्यावरण अभियांत्रिकी या लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में स्नातक की डिग्री।
- (ii) जल आपूर्ति और सीवरेज संस्थापना की जांच, डिजाइन, निर्माण तथा संचालन में 09 वर्ष का अनुभव, जिसमें विलवणीकरण, डीफ्लोराइडेशन, लौह विमुक्तिकरण और जल संचयन संरचना में ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव शामिल है।

वांछनीय:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी/पर्यावरण अभियांत्रिकी/लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर डिग्री।

टिप्पणी 1: केवल केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारी ही आमेलन हेत् विचार किए जाने के पात्र होंगे।

टिप्पणी 2: फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के सीधे क्रम में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार हेतु पात्र नहीं होंगे।

(केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध (अल्पकालिक अनुबंध सिहत) सिहत प्रतिनियुक्ति की अविध (अल्पकालिक अनुबंध सिहत) सिहत प्रतिनियुक्ति की अविध (अल्पकालिक अनुबंध सिहत) सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सिहत) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक न हो।)

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा दिनांक 01-01-2006 से पूर्व नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू संगत ग्रेड वेतन/वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी/ जिस तारीख से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है, सिवाय उनके जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए लागू होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

#### (iii) सहायक सलाहकार (पीएचई) के पद के लिए अपेक्षित सेवा, शैक्षणिक अर्हता और अन्भव:

सहायक सलाहकार (पीएचई), के पद हेतु अधिसूचित भर्ती नियमों, अर्थात, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सहायक सलाहकार (लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2013 (समय-2 पर यथा संशोधित) अनुसार, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सिहत)/आमेलन आधार पर पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता, अनुभव और आयु सीमाएं आदि निम्नान्सार होंगी:

केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के तहत अधिकारी:

(क). (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; अथवा



- (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे मैट्रिक्स में लेवल-10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा
- (iii) मूल संवर्ग या विभाग में पे मैट्रिक्स में स्तर-8 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड/स्तर में छह वर्ष की सेवा की हो;

और

- (ख). सीधी भर्ती के लिए निर्धारित निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों:
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी / पर्यावरण अभियांत्रिकी / लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि (डिग्री); और
- (ii) सरकारी या स्वायत या अर्ध-सरकारी संगठन या निजी संगठन में विलवणीकरण/ डी-फ्लोराइडेशन/लौह विमुक्तिकरण/जल संचयन संरचनाओं में शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित जल आपूर्ति और सीवरेज प्रतिष्ठानों की जांच या डिजाइन, निर्माण या संचालन में अकेले या सामूहिक रूप से पांच वर्ष का अनुभव।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सिहत)/आमेलन जिसमें प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सिहत) शामिल है, केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित उसी या किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर आमतौर पर चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सिहत) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा दिनांक 01-01-2006 से पूर्व नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू संगत ग्रेड वेतन/वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी/ जिस तारीख से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई, सिवाय उनके जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान का सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए लागू होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

3. <u>अपर सलाहकार (पीएचई), उप सलाहकार (पीएचई) और सहायक सलाहकार (पीएचई) के पदों से संबंधित कर्तव्य और उत्तरदायित्व</u>:

ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता परियोजनाओं, ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं की जांच करना; केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों (अर्थात एनआरडीडब्ल्यूपी/जेजेएम और एसबीएम) के कार्यान्वयन में सहायता करना; डीपीआर का मूल्यांकन करना; बैठकों/कार्यशालाओं का आयोजन करना; तकनीकी दिशानिर्देश तैयार करना आदि; ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता के क्षेत्रों में मैनुअल, तकनीकी रिपोर्टें और पद्धति संहिता तैयार करने में सहायता करना; विभिन्न अंतर-मंत्रालयी बैठकों, दलों आदि में विभाग का प्रतिनिधित्व करना।

- 4. <u>प्रतिनियुक्ति की अवधि और अन्य नियम और शर्त</u>ें: प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-06-2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009 (पे-॥) द्वारा और इस संबंध में अनुवर्ती अनुदेशों द्वारा शासित होंगी।
- 5. अतः यह अनुरोध किया जाता है कि विचार किए जाने के इच्छुक पात्र अधिकारियों के सेवा संबंधी विवरण और जीवन वृत (बायोडाटा) निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-I) में इस विभाग को उनके पूर्ण और अद्यतन सीआर डोजियर और सतर्कता अनुमति, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र और कोई भी शास्ति नहीं प्रमाणपत्र (अनुलग्नक-II) के साथ तीन प्रतियों में इस विभाग को भेजे जाएं और यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई बड़ी/छोटी शास्ति लगाई गई हो तो निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-II) में इसका उल्लेख करें।
- 6. रिक्ति परिपत्र और अनुलग्नक विभाग की वेबसाइट https://jalshakti-ddws.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। आवेदक ddws\_usadm@nic.in पर ईमेल के माध्यम से आवेदन की एक अग्रिम प्रति भेज सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आवेदक ddws\_usadm@nic.in पर मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा लिफाफे पर आवेदित पद के नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए भेजे जाने चाहिए और इम्पलायमैंट न्यूज/रोजगार समाचार में इस परिपत्र के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर 'अवर सचिव (प्रशासन), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, 8वां तल, पंडित दीनदयाल 'अंत्योदय भवन', सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003 के पते पर भेजे जाने चाहिए।

#### <u>आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले संलग्नकों की सूची</u>:

i) निर्धारित प्रारूप - अनुलग्नक-। और ॥ में विधिवत पूर्ण आवेदन, उम्मीदवार द्वारा पृष्ठों के दोनों ओर हस्ताक्षरित और कार्यालय प्रमुख द्वारा पृष्ठों के दोनों ओर प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। ii) पिछले 5 (पांच) वर्षों तक की एसीआर/एपीएआर की सत्यापित प्रतियां जो ऐसे अधिकारी जिसका स्तर अवर सचिव या समकक्ष रैंक से कम न हो, द्वारा विधिवत सत्यापित हों और उन पर पृष्ठों के दोनों ओर मुहर लगाई जानी चाहिए अधिकारियों के आवेदनों को अग्रेषित करते समय, यह भी प्रमाणित किया जाए कि अधिकारियों के सेवा संबंधी विवरणों को उनके पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार सत्यापित किया गया है।

300

8. जो आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित नहीं किए गए हैं या जो ठीक से हस्ताक्षरित नहीं हैं या जो पूर्ण और अद्यतित सीआर डोजियर, सतर्कता और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र और अधिकारियों की बड़ी/छोटी शास्ति की सूची के बिना प्राप्त हुए हैं या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुए हैं उन पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार अधिकारियों के नामांकन प्राप्त हो जाने के बाद, अधिकारियों या अग्रेषित करने वाले संगठनों को बाद में अपना/उनका नामांकन वापस लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी।

(धर्मेन्द्र राय) भारत सरकार के अवर सचिव दूरभाष सं.: 011-24368711 ईमेल: ddws\_usadm@nic.in

## 200XV

### जीवनवृत्त का प्रोफार्मा

आवेदन किए गए पद क	ा नाम				
1.नाम और पता					
(स्पष्ट अक्षरों में)					
2.जन्म तिथि (ईस्वी सन	ा में)		1 4		
3.i) सरकारी सेवा में प्रवे	श की तारीख			Parameter Section	
ii) केंद्र/राज्य सरकार	के नियमों के	- cyle	, 171 , 0		
तहत सेवानिवृत्ति की तारी	ख।				
4. शैक्षणिक योग्यता		y - '- J	v7191, 7		dig. The little of
5. क्या पद के लिए	अपेक्षित शैक्षणिव	क्र और	अन्य	1 11	The state of the s
अर्हताएं संतोषजनक हैं।	(यदि किसी अर्हत	ना को	नियमों		
में निर्धारित अर्हता के स	ामान माना गया	है, तो	उसके		
लिए प्राधिकार का उल्लेख	। करें)				
विज्ञापन / रिक्ति परिष	।त्र में उल्लिखित	न अधि	कारी के	पास अर्हताए	रं / अनुभव
अनुसार अपेक्षित अर्हताएं	/ अनुभव				J
अनिवार्य				अनि	वार्य
क) अर्हता		क).	अर्हता		
ख) अनुभव		ख).	अनुभव		
वांछनीय	ſ		4	वांछ	नीय
क) अहंता		क).	अर्हता		, .
ख) अनुभव	1	ख).	अनुभव		
	**************************************	1		1	-

- 5.1 टिप्पणी: प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग / कार्यालय द्वारा परिपत्र जारी करने और रोजगार समाचार में विज्ञापन जारी करते समय भर्ती नियमों में उल्लिखित अनिवार्य और वांछनीय अर्हता को इंगित करने के लिए इस कॉलम को परिवर्धित करने की आवश्यकता है।
- 5.2 स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हताओं के मामले में अभ्यर्थी द्वारा वैकल्पिक / मुख्य विषयों और सहायक विषयों को इंगित किया जा सकता है।

6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आपके द्वारा ऊपर की गई प्रविष्टियों के आलोक में, आप पद की अपेक्षित अनिवार्य अर्हताओं और कार्य संबंधी अनुभव को पूरा करते हैं।

6.1 टिप्पणी: आदाता विभाग को आवेदन किए गए पद के संदर्भ में अभ्यर्थी के पास मौजूद संगत अनिवार्य अर्हता / कार्य संबंधी अनुभव (जीवनवृत्त में दर्शाए गए अनुसार) की पुष्टि करने वाली अपनी विशिष्ट टिप्पणियां / विचार प्रदान करना है।

7. कालानुक्रमिक क्रम में रोजगार का विवरण। यदि नीचे दिया गया स्थान पर्याप्त न हो तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अलग पत्रक संलग्न करें।

कार्यालय/संस्था	नियमित	से	तक	'नियमित आधार पर	कर्तव्यों की प्रकृति
	आधार पर			धारित पद का पे	(विस्तारपूर्वक)
	धारित पद		in Misik.	बैंड और ग्रेड	आवेदित पद के
				वेतनमान / पे	लिए अपेक्षित
				मैट्रिक्स में लेवन	अनुभव को
					रेखांकित करते हुए
		Fin Nes			
*					

'महत्वपूर्ण: एसीपी/एमएसीपी के तहत दिए गए पे पे बैंड और ग्रेड वेतन / मैट्रिक्स, अधिकारी के लिए व्यक्तिगत हैं और इसलिए, इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। नियमित आधार पर धारित पद के पे केवल पे बैंड और ग्रेड वेतन / पे मैट्रिक्स का ही उल्लेख किया जाना है वर्तमान पे बैंड और ग्रेड वेतन / पे मैट्रिक्स में लेवल के साथ एसीपी/एमएसीपी का विवरण जहां अभ्यर्थी द्वारा इस तरह के लाभ प्राप्त किए गए हैं, नीचे दिए गए अनुसार दर्शाए जा सकते हैं:

एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत,	से	तक
आहरित वेतन, पे बैंड और ग्रेड वेतन		
/ पे मैट्रिक्स में लेवल		- 10
4		a =
	आहरित वेतन, पे बैंड और ग्रेड वेतन	

0 = 100 =					W	
	नेयोजन की प्रकृति 3	ाथात तदथ या				
	र्ध-स्थायी या स्थायी।					
	ान नियोजन प्रतिनियु	, ,				
	त है तो कृपया बताएं-	,	K _ 1 1	L		1 1
क). प्रारंभिक		ग)	मूल		संगठन में	., .,
नियुक्ति की	प्रतिनियुक्ति/अनुबंध			ı		का नाम
तारीख	पर नियुक्ति की	नाम जिससे अ	ावेदक	और पद व	का वेतन	
	अवधि	संबंधित है।			*	4 m T 1
टिप्पणीः 9.1 र	। गदि अधिकारी पहले से	ही प्रतिनियक्ति <sup>।</sup>	 पर हों			
at Y as a -	रियों के आवेदन को व			ti i <sub>ali</sub> i i		
		A Maria Control		1 -		
संवर्ग स्वीकृति, सतर्कता अनापत्ति और सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए।						
टिप्पणी: 9.2 उपरोक्त कॉलम 9 (ग) और (घ) के तहत सूचना						
उन सभी मामलों में दी जाए जहां कोई व्यक्ति संवर्ग / संगठन					4 4	
के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण किए हुए हो, परंतु फिर					man and an a	
भी अपने मूल संवर्ग / संगठन में ग्रहणाधिकार (लियन) बनाए						
रखे हए हो						
	क द्वारा विगत में प्रा	नेनियक्ति पर को	ਦ ਹਟ		4	
l and		9				
धारण किया गया है, तो पिछली प्रतिनियुक्ति से वापसी की तारीख और अन्य विवरण।				e e		
ताराख जार जन	य ।पपरणा					
	A second					7 7 7 7 7
11 वर्तमान नि	योजन के बारे में अति	विक्रम विवरणः	· JE, y			hod y
कृपया बताएं कि आप किसके अधीन कार्य कर रहे हैं (संबंधित				4.1		
स्तंभ के सामने अपने नियोक्ता का नाम लिखें)				1 3 14		
(101 -11 (110101	जा का कानान्ता नग ज	ivi MG)				
क) केंद्र सरव	<b>कार</b>					
ख) राज्य सरकार				18 11 11		

ग) स्वायत्त संगठन		
घ) सरकारी उपक्रम		8
ङ) विश्वविद्यालय		
च) अन्य		
,		
12. कृपया बताएं कि क्या आप	उसी विभाग में कार्य कर रहे	
हैं और फीडर ग्रेड या फीडर से	फीडर ग्रेड में हैं।	
	11 Mary 2011	
13. क्या आप संशोधित वेतन	मान में हैं? यदि हाँ, तो वह	
तारीख बताएं जिससे संशोधन हु		
भी लिखें।		
THE REST	1 1 1	
14. वर्तमान में प्रति माह आर्हा	रेत कुल परिलब्धियां	
पीबी/पे मैट्रिक्स में मूल वेतन	ग्रेड वेतन/लेवल	कुल परिलब्धियां
	Market Report to 12. Age 1986	
		Maria distriction in the result of the control
41	The second of th	
45		रा के बेजनाओं का भनागतन
		कार के वेतनमानों का अनुपालन
नहीं कर रहा हो, तो संगठन व	द्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च	 कार के वेतनमानों का अनुपालन र्f, जिसमें निम्नलिखित विवरण
नहीं कर रहा हो, तो संगठन व दर्शाएं गए हों, संलग्न की जाए	प्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च 	र्f, जिसमें निम्नलिखित विवरण
नहीं कर रहा हो, तो संगठन व दर्शाएं गए हों, संलग्न की जाए वेतनमान के साथ मूल वेतन	द्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च । महंगाई वेतन/अंतरिम	7.41 (*) - v - 1 - 1 - 1 - 1 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
नहीं कर रहा हो, तो संगठन व दर्शाएं गए हों, संलग्न की जाए	्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भते आदि,	र्f, जिसमें निम्नलिखित विवरण
नहीं कर रहा हो, तो संगठन व दर्शाएं गए हों, संलग्न की जाए वेतनमान के साथ मूल वेतन	द्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च । महंगाई वेतन/अंतरिम	र्f, जिसमें निम्नलिखित विवरण
नहीं कर रहा हो, तो संगठन व दर्शाएं गए हों, संलग्न की जाए वेतनमान के साथ मूल वेतन	्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भते आदि,	र्f, जिसमें निम्नलिखित विवरण
नहीं कर रहा हो, तो संगठन व दर्शाएं गए हों, संलग्न की जाए वेतनमान के साथ मूल वेतन और वेतनवृद्धि की दर	्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भते आदि, (ब्यौरे-वार विवरण के साथ)	र्त, जिसमें निम्नलिखित विवरण कुल परिलब्धियां
नहीं कर रहा हो, तो संगठन व दर्शाएं गए हों, संलग्न की जाए वेतनमान के साथ मूल वेतन और वेतनवृद्धि की दर 16. क) अतिरिक्त जानकारी,	प्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि, (ब्यौरे-वार विवरण के साथ) यदि कोई हो, जो आपके द्वारा	र्त, जिसमें निम्नलिखित विवरण कुल परिलब्धियां
नहीं कर रहा हो, तो संगठन व दर्शाएं गए हों, संलग्न की जाए वेतनमान के साथ मूल वेतन और वेतनवृद्धि की दर 16. क) अतिरिक्त जानकारी, आवेदन किए गए पद के लिए	प्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि, (ब्यौरे-वार विवरण के साथ) यदि कोई हो, जो आपके द्वारा संगत और उस पद के लिए	र्त, जिसमें निम्नलिखित विवरण कुल परिलब्धियां
नहीं कर रहा हो, तो संगठन व दर्शाएं गए हों, संलग्न की जाए वेतनमान के साथ मूल वेतन और वेतनवृद्धि की दर 16. क) अतिरिक्त जानकारी, आवेदन किए गए पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन	प्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि, (ब्यौरे-वार विवरण के साथ) यदि कोई हो, जो आपके द्वारा संगत और उस पद के लिए	र्त, जिसमें निम्नलिखित विवरण कुल परिलब्धियां
नहीं कर रहा हो, तो संगठन व दर्शाएं गए हों, संलग्न की जाए वेतनमान के साथ मूल वेतन और वेतनवृद्धि की दर 16. क) अतिरिक्त जानकारी, आवेदन किए गए पद के लिए	प्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि, (ब्यौरे-वार विवरण के साथ) यदि कोई हो, जो आपके द्वारा संगत और उस पद के लिए	र्त, जिसमें निम्नलिखित विवरण कुल परिलब्धियां
नहीं कर रहा हो, तो संगठन व दर्शाएं गए हों, संलग्न की जाए वेतनमान के साथ मूल वेतन और वेतनवृद्धि की दर 16. क) अतिरिक्त जानकारी, आवेदन किए गए पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन	्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि, (ब्यौरे-वार विवरण के साथ) यदि कोई हो, जो आपके द्वारा संगत और उस पद के लिए में हो। अपनी उपयुक्तता के	र्न, जिसमें निम्नलिखित विवरण कुल परिलब्धियां
नहीं कर रहा हो, तो संगठन द दर्शाएं गए हों, संलग्न की जाए वेतनमान के साथ मूल वेतन और वेतनवृद्धि की दर 16. क) अतिरिक्त जानकारी, आवेदन किए गए पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन समर्थन में आवेदन किया था।	्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च  महंगाई वेतन/अंतरिम  राहत/अन्य भते आदि,  (ब्यौरे-वार विवरण के साथ)  यदि कोई हो, जो आपके द्वारा  संगत और उस पद के लिए में हो। अपनी उपयुक्तता के	र्न, जिसमें निम्नलिखित विवरण कुल परिलब्धियां
नहीं कर रहा हो, तो संगठन द दर्शाएं गए हों, संलग्न की जाए वेतनमान के साथ मूल वेतन और वेतनवृद्धि की दर 16. क) अतिरिक्त जानकारी, आवेदन किए गए पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन समर्थन में आवेदन किया था। (इसमें अन्य बातों के अलावा	्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च  महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि, (ब्यौरे-वार विवरण के साथ)  यदि कोई हो, जो आपके द्वारा संगत और उस पद के लिए में हो। अपनी उपयुक्तता के  निम्न के संबंध में जानकारी वेरिक्त शैक्षणिक अर्हता (ii)	र्न, जिसमें निम्नलिखित विवरण
नहीं कर रहा हो, तो संगठन व दर्शाएं गए हों, संलग्न की जाए वेतनमान के साथ मूल वेतन और वेतनवृद्धि की दर 16. क) अतिरिक्त जानकारी, आवेदन किए गए पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन समर्थन में आवेदन किया था। (इसमें अन्य बातों के अलावा प्रदान की जा सकती है (i) अति व्यावसायिक प्रशिक्षण (iii) वि	्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च  महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भते आदि, (ब्यौरे-वार विवरण के साथ)  यदि कोई हो, जो आपके द्वारा संगत और उस पद के लिए में हो। अपनी उपयुक्तता के  निम्न के संबंध में जानकारी वेरिक्त शैक्षणिक अर्हता (ii)	र्न, जिसमें निम्नलिखित विवरण
नहीं कर रहा हो, तो संगठन द दर्शाएं गए हों, संलग्न की जाए वेतनमान के साथ मूल वेतन और वेतनवृद्धि की दर 16. क) अतिरिक्त जानकारी, आवेदन किए गए पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन समर्थन में आवेदन किया था। (इसमें अन्य बातों के अलावा प्रदान की जा सकती है (i) अति व्यावसायिक प्रशिक्षण (iii) वि	्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च  महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भते आदि, (ब्यौरे-वार विवरण के साथ)  यदि कोई हो, जो आपके द्वारा संगत और उस पद के लिए में हो। अपनी उपयुक्तता के  निम्न के संबंध में जानकारी वेरिक्त शैक्षणिक अर्हता (ii) रिक्त परिपत्र / विज्ञापन में बंधी अनुभव)	र्न, जिसमें निम्नलिखित विवरण
नहीं कर रहा हो, तो संगठन द दर्शाएं गए हों, संलग्न की जाए वेतनमान के साथ मूल वेतन और वेतनवृद्धि की दर 16. क) अतिरिक्त जानकारी, आवेदन किए गए पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन समर्थन में आवेदन किया था। (इसमें अन्य बातों के अलावा प्रदान की जा सकती है (i) अति व्यावसायिक प्रशिक्षण (iii) ि निर्धारित के अतिरिक्त कार्य सं (टिप्पणी: यदि स्थान पर्याप्त न	्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च  महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भते आदि, (ब्यौरे-वार विवरण के साथ)  यदि कोई हो, जो आपके द्वारा संगत और उस पद के लिए में हो। अपनी उपयुक्तता के  निम्न के संबंध में जानकारी वेरिक्त शैक्षणिक अर्हता (ii) रिक्त परिपत्र / विज्ञापन में बंधी अनुभव)	र्न, जिसमें निम्नलिखित विवरण
नहीं कर रहा हो, तो संगठन द दर्शाएं गए हों, संलग्न की जाए वेतनमान के साथ मूल वेतन और वेतनवृद्धि की दर 16. क) अतिरिक्त जानकारी, आवेदन किए गए पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन समर्थन में आवेदन किया था। (इसमें अन्य बातों के अलावा प्रदान की जा सकती है (i) अति व्यावसायिक प्रशिक्षण (iii) वि	्वारा जारी अद्यतन वेतन पर्च  महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भते आदि, (ब्यौरे-वार विवरण के साथ)  यदि कोई हो, जो आपके द्वारा संगत और उस पद के लिए में हो। अपनी उपयुक्तता के  निम्न के संबंध में जानकारी वेरिक्त शैक्षणिक अर्हता (ii) रिक्त परिपत्र / विज्ञापन में बंधी अनुभव)	र्न, जिसमें निम्नलिखित विवरण

16. ख) उपलब्धियां:	
अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के संबंध	·
में जानकारी प्रस्तुत करें;	
(i) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्टं तथा विशेष परियोजनाएं	
(ii) पुरस्कार/छात्रवृत्तियां/आधिकारिक प्रशंसा पत्र	
(iii) व्यावसायिक निकायों/संस्थाओं/सोसाइटियों के साथ	i.
संबद्धता और;	
(iv) स्वयं के नाम पर पंजीकृत या संगठन के लिए प्राप्त किए	
गए पेटेंट।	,
(v) आधिकारिक मान्यता से जुड़ा कोई अनुसंधान/अभिनव	
उपाय vi) कोई अन्य जानकारी	
(टिप्पणी: यदि स्थान पर्याप्त न हो तो एक अलग पत्रक संलग्न	
करें)	e a le
17. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति	
17. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन/पुन: नियोजन आधार के लिए आवेदन	
17. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति	
17. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन/पुन: नियोजन आधार के लिए आवेदन	
17. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन/पुन: नियोजन आधार के लिए आवेदन कर रहे हैं। # (केन्द्र/राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले	
17. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन/पुन: नियोजन आधार के लिए आवेदन कर रहे हैं। # (केन्द्र/राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले अधिकारी ही आमेलन के पात्र होंगे। गैर-सरकारी संगठनों के	
17. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन/पुन: नियोजन आधार के लिए आवेदन कर रहे हैं। # (केन्द्र/राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले अधिकारी ही आमेलन के पात्र होंगे। गैर-सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल अल्पकालिक अनुबंध के लिए पात्र होंगे)	
17. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन/पुन: नियोजन आधार के लिए आवेदन कर रहे हैं। # (केन्द्र/राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले अधिकारी ही आमेलन के पात्र होंगे। गैर-सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल अल्पकालिक अनुबंध के लिए पात्र होंगे) # ('एसटीसी'/'आमेलन'/'पुनःनियोजन' का विकल्प केवल तभी	
17. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन/पुन: नियोजन आधार के लिए आवेदन कर रहे हैं। # (केन्द्र/राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले अधिकारी ही आमेलन के पात्र होंगे। गैर-सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल अल्पकालिक अनुबंध के लिए पात्र होंगे) # ('एसटीसी'/'आमेलन'/'पुनःनियोजन' का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा जब रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से "एसटीसी"	
17. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन/पुन: नियोजन आधार के लिए आवेदन कर रहे हैं। # (केन्द्र/राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले अधिकारी ही आमेलन के पात्र होंगे। गैर-सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल अल्पकालिक अनुबंध के लिए पात्र होंगे) # ('एसटीसी'/'आमेलन'/'पुनःनियोजन' का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा जब रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से "एसटीसी" या "भुनःनियोजन" द्वारा भर्ती का उल्लेख किया	
17. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन/पुनः नियोजन आधार के लिए आवेदन कर रहे हैं। # (केन्द्र/राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले अधिकारी ही आमेलन के पात्र होंगे। गैर-सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल अल्पकालिक अनुबंध के लिए पात्र होंगे) # ('एसटीसी'/'आमेलन'/'पुनःनियोजन' का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा जब रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से "एसटीसी" या "आमेलन" या "पुनःनियोजन" द्वारा भर्ती का उल्लेख किया गया हो।	

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मैं भली-भांति जानता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य आर्हता/कार्य अनुभव के संबंध में दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित पाठ्यचर्या जीवनवृत्त में दी गई जानकारी का भी चयन समिति द्वारा पद के लिए चयन के समय मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रमाणित की गई सूचना/विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य है और ऐसी किसी भी तथ्यगत सूचना को छुपाया/दबाया नहीं गया है जो मेरे चयन को प्रभावित करती हो।

	(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)
en an disercipa supplication and a second contraction of	पता:
दिनांक	ALCOHOL STATE OF THE STATE OF T

अन्लग्नक-॥

30

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

आवेदक द्वारा उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी/विवरण रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य और सही हैं। उनके पास रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव है। यदि उनका चयन किया जाता है, तो उन्हें तुरंत कार्य मुक्त कर दिया जाएगा।

- 2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि;
- i) श्री / श्रीमती सुश्री\_\_\_\_ के विरुद्ध सतर्कता या अनुशासनात्मक कोई भी मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है
- ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है
- iii) उनका गोपनीय रिपोर्ट डोजियर मूल रूप में संलग्न है। भारत सरकार के अवर सचिव के रैंक के अधिकारी उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित की गई पिछले 5 वर्षों की एसीआर की प्रतिलिपि संलग्न है।
- iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है या पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ति की सूची संलग्न है। (जैसा भी मामला हो)

दिनांक:-

प्रतिहस्ताक्षरित

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की मुहर)